

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० एलएम/१२/२०१४/एमएचआरडी१/एसईएचआरएमटी/आरयू-III

विषय: जातिगत आधार पर उत्पीड़न करने के संबंध में डा० ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, नई दिल्ली के मामले पर दिनांक 23.12.2014 को अपराह्न 04:00 बजे श्री रवि ठाकुर, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष हुई बैठक/सुनवाई का कार्यवृत्त।

बैठक/सुनवाई की तिथि-23.12.2014

बैठक में उपस्थित (परिशिष्ट-1)


डा० ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन, नई दिल्ली ने अभ्यावेदन दिनांक 01.09.2014 आयोग को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उनके साथी डा० ममता चावला, डा० पूनम शर्मा, डा० शशि शर्मा, डा० लोकेश गुप्ता एवं चारु आर्य एवं अन्य लोग उनके ऊपर जातिगत व्यंग्य कसते हुए आरक्षण के ताने मारते हैं और परेशान करते हैं। उसने आयोग को अनुरोध किया है कि उक्त लोगों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस मामले में कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को आवश्यक कार्रवाई कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भेजने के लिए आयोग ने दिनांक 01.09.2014 को नोटिस भेजा।

इस संबंध में सहायक रजिस्ट्रार (कॉलेज-टी), दिल्ली विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 04.09.2014 द्वारा अवगत कराया कि कॉलेज की गवर्निंग बोडी इस संबंध में कार्रवाई के लिए संक्षम है। दिल्ली विश्वविद्यालय का इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में एक पत्र संबंधित कॉलेज को भेज दिया गया है।

इस संबंध में आयोग ने एक और अनुस्मरण पत्र दिनांक 11.09.2014 प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को भेजा। प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने पत्र दिनांक 15.09.2014 द्वारा आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता की समस्या के समाधान हेतु इस मामले में कॉलेज गवर्निंग बोडी ने एक उप समिति गठित की है जिसकी बैठक 12.09.2014 को हो चुकी है। यदि शिकायत सही पायी गई तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में डा० ललिता मीना ने दिनांक 11.09.2014 का अभ्यावेदन आयोग को भेज कर अवगत कराया है कि जैसे ही उसने आयोग में शिकायत की है उसके साथी प्रोफेसर मौका मिलते ही और अधिक जाति आधार पर उत्पीड़न करने लगे हैं जिससे उनका मानसिक संतुलन खराब रहता है।

  
रवि ठाकुर/RAVI THAKUR  
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने कॉलेज के जवाब से अभ्यावेदिका को अवगत कराया गया जिस पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए उनके द्वारा रिजोएन्डर दिनांक 01.10.2014 आयोग को प्रस्तुत किया गया रिजोएन्डर की छायाप्रति आयोग के पत्र दिनांक 09.10.2014 द्वारा कामेंटस प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन को भेजी। प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने पत्र दिनांक 27.10.2014 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि गठित कमेटी की रिपोर्ट गवर्निंग बोर्ड को प्राप्त होते ही मामले उचित निर्णय लिया जाएगा।

इस मामले में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष, श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 23.12.2014 को अपराह्न 4:00 बजे चर्चा हेतु रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन के साथ आयोग में बैठक निश्चित की, तदनुसार आयोग द्वारा उनको नोटिस जारी किए गए।

मामले में सुश्री मीनाक्षी सहाय, सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डा0 कवंचरजीत कौर, पदेन प्रिंसिपल व श्री एस.के.एस. मान, प्रशासनिक अधिकारी, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन दिनांक 23.12.2014 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। माननीय उपाध्यक्ष ने उनको मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जिस पर सहायक रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि कॉलेज की गवर्निंग बोर्ड, कॉलेज के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नियुक्ति एवं अनुशासन के लिए ऑथोरिटी है। अतः इस मामले में प्रिंसिपल स्वयं आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष के पूछने पर प्रिंसिपल, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन ने आयोग को बताया कि दिनांक 16.12.2014 को इस संबंध में कॉलेज की गवर्निंग बोर्ड की बैठक हुई है जिसके कार्यवृत्त की प्रति आयोग को प्रस्तुत है। उन्होंने अवगत कराया कि डा0 ललिता मीना के मामले में फ़ैक्टस फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट गवर्निंग बोर्ड के समक्ष रखी गयी जिस पर चर्चा करते हुए प्रश्नगत मुद्दे को गंभीरता से लिया गया और गवर्निंग बोर्ड ने पाया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कॉलेज द्वारा सभी प्रयास किये जाने आवश्यक है। प्रिंसिपल ने कहा कि इस मामले में आयोग की दिशा-निर्देश रिपोर्ट पर गवर्निंग बोर्ड द्वारा अग्रिम विचार-विमर्श कर मामले का समाधान किया जाएगा। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि इस प्रकार की घटनाओं पर निगरानी के लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा कुछ उपाय/मैकेनिज्म तय किया है।

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण आधार पर संबंधित वर्ग के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी पर संबंधित विभाग या कार्यालय द्वारा भेदभाव/उत्पीड़ना बरती जाती है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। डा0 ललिता मीना के मामले में कॉलेज के साथी लोगों द्वारा उनके साथ किया गया जातिगत अपमान/भेदभाव एक संज्ञेय अपराध है। अतः आयोग की सिफारिश है कि दोषीगणों के खिलाफ निम्नलिखित बिन्दुओं अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:-

1. डा0 ललिता मीना, सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग) की कथित शिकायत/समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

